भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

सं. आई.बी.बी.आई./एल.आई.क्यू./74/2024 **28 जून, 2024**

सेवा में,
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं, और
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

महोदय/महोदया

विषयः दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन स्वैच्छिक समापन प्रक्रियाओं को मानिटर करने के लिए प्ररूप फाइल करना

कोई कारपोरेट व्यक्ति, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का धारा 59 तथा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के निबंधनानुसार स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया आरंभ कर सकेगा । प्रक्रिया के दौरान, परिसमापक दावे आमंत्रित करता है और सत्यापित दावों के आधार पर हितधारकों की सूची तैयार करता है, कारपोरेट व्यक्ति की आस्तियों का विक्रय कारपोरेट व्यक्ति द्वारा अनुमोदित रीति और पद्धति में करता है तथा संहिता की धारा 53 के अनुसार आगमों को वितरित करता है । परिसमापक, प्रक्रिया पूरी होने पर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को अंतिम रिपोर्ट और कारपोरेट ऋणी के विघटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करता है ।

2. परिसमापक के रूप में कृत्य करने वाले दिवाला व्यावसायिक(आई.पी.) से भी यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि विधिक अपेक्षाओं का अनुपालन हो और न्यायनिर्णायक प्राधिकारी(ए.ए.) तथा आई.बी.बी.आई. को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए । वर्तमान में, आई.पी. स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के संबंध में बोर्ड को ईमेल के माध्यम स प्रस्तुत करते हैं, जो कि अधिक समय लेने वाला और अदक्ष माध्यम है ।

3. दिवाला व्यावसायिकों(आई.पी.) के अनुपालन भार को कम करने के लिए, आई.बी.बी.आई. द्वारा स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के ब्यौरे लेने के लिए इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर प्ररूपों के एक समूह का सृजन किया है । ये प्ररूप, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता(आई.बी.सी.) के अधीन स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये सुव्यवस्थित और पारदर्शी अभिलेखन और निर्बाघ रिपोर्टिंग को समर्थ बनाते हैं । इन प्ररूपों के प्राथमिक लाभों के अंतर्गत निम्नलिखित हैः

- स्वाच्छिक समापन प्रक्रिया की दक्षता और प्रभावकारिता को मजबूत करना ।
- परिसमापकों को प्ररूपों तक सुविधाजनक रूप से ऑनलाइन पहुंच बनाना और उन्हें प्रस्तुत करना जिससे विलंब में कमी होगी और दक्षता में वृद्धि होगी ।
- गलतियों और लोपों के अवसरों को कम करना, अधिक सही और विशवसनीय जानकारी सुनिश्चित करना

4. इन प्ररूपों का संक्षिप्त विवरण नीचे दी गई सारणी के अनुसार हैः

प्ररूप सं.	समयावधि और परिधि	समय-सीमा
वी.एल.1	इसके अंतर्गत कारपोरेट व्यक्ति के ब्यौरे, स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के ब्यौरे आते हैं ।	लोक उद्घोषणा के पश्चात् दूसरे मास के 10वें दिन या उससे पूर्व ।
वी.एल.2	प्रक्रिया में हुए विलंब के कारणों सहित अंशदायियों की बैठकों के ब्यौरे, परिसमापक के प्रतिस्थापन के ब्यौरे,यदि कोई हैं।	अंशदायियों की बैठक या परिसमापक के प्रतिस्थापन के पश्चात्, आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व ।
वी.एल.3	विघटन आवेदन के ब्यौरे, अदावाकृत आगमों के ब्यौरे, वसूली और हितधारकों को किए गए वितरण के ब्यौरे, लंबित मुकदमेबाज़ी, कपट या दिवालिया होने का पता लगने, यदि कोई हैं, के ब्यौरे ।	न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को कारपोरेट व्यक्ति का विघटन आवेदन या स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के लिए प्रत्याहरण/निलंबन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, आगामी मास के 10वें दिन या उससे पूर्व ।
वी.एल.4	विघटन के आदेश के ब्यौरे: इसके अंतर्गत आगमों, प्राप्तियों और संदायों के वितरण के ब्यौरे, आदि आते हैं । (इन प्ररूपों में अपेक्षित ब्यौरे, वी.एल.-3 प्ररूप से अग्रनीत किए जाते हैं और इसलिए इन्हें पुनः भरने की आवश्यकता नहीं है ।	कारपोरेट व्यक्ति के विघटन के लिए या स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के प्रत्याहरण/निलंबन के लिए आदेश पारित किए जाने के 14वें दिन या उससे पूर्व ।

5. इन प्ररूपों को निर्बाध रूप से फाइल करने के प्रयोजनार्थ, आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट https://www,ibbi.gov.in पर एक प्लेटफार्म होस्ट किया गया है । दिवाला व्यावसायिक, आई.बी.बी.आई. द्वारा प्रदान किए गए सुभिन्न यूज़र्सनेम और पासवर्ड की सहायता से इस प्लेटफार्म पर जाएगा और डी.एस.सी. जोडने या ई-हस्ताक्षर करने के पश्चात् सुसंगत जानकारी और अभिलेख सहित प्ररूप अपलोड/प्रस्तुत करेगा । इसके अतिरिक्त, अभिलेख सहित पूर्ण और सही जानकारी समयबद्ध रूप से फाइल करना एकमात्र रूप से आई.पी. का उत्तरदायित्व है ।

6. यह निदेश दिया जाता है कि आई.पी. इलैक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर ही प्ररूप फाइल करेगाः

क. ऐसे सभी मामलों में, जहां स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया इस परिपत्र के जारी किए जाने की तारीख को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई है, विहित समय-सीमा के भीतर ।

ख. चालू मामलों मेः जिसमें कारपोरेट व्यक्ति के विघटन के लिए कोई आवेदन फाइल नहीं किया गया है, आई.पी. 30 सितम्बर, 2024 तक निम्नलिखित प्ररूप फाइल करेगाः

- सभी मामलों के लिए प्ररूप वी.एल.-1
- ऐसे सभी मामलों में, जहां, यथास्थिति, प्रक्रिया में विलंब हुआ है या परिसमापक को प्रतिस्थापित किया गया है, प्ररूप वी.एल.-2

ग. ऐसे मामलों के लिए, जहां कारपोरेट व्यक्ति के विघटन या उसकी स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के प्रत्याहरण/निलंबन के लिए ए.ए. के समक्ष कोई आवेदन फाइल किया गया है, 30 सितम्बर, 2024 तक वी.एल.-1, वी.एल.-2 और वी.एल.-3 प्ररूप फाइल करेगा ।

घ. ऐसे मामलों के लिए, जहां कारपोरेट व्यक्ति के विघटन या स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया के प्रत्याहरण/निलंबन के लिए ए.ए. द्वारा आदेश किया गया है, 30 सितम्बर, 2024 तक वी.एल.1, वी.एल.-3 और वी.एल.-4 प्ररूप फाइल करेगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा आई.पी., जो संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के लागू उपबंधों का अनुपालन नहीं करता हैः

(i) सुसंगत जानकारी और अभिलेख सहित अपेक्षित प्ररूप फाइल करने में असफल रहने,

(ii) किसी प्ररूप में या उसके साथ फाइल की गई गलत या अपूर्ण जानकारी और/या अभिलेख,

के लिए संहिता और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के लागू उपबंधों के अनुसार दायी होगा ।

8. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

(राजेश तिवारी)

महाप्रबंधक